

24/8/16

वकील शर्मा उपस्थित । वादी का वाद एवं अध्याई निवेदाना
का प्रथम पत्र मय अन्तर्गम अध्याई निवेदाना के निरस्त
किया जा चुका है। प्रथम पत्र पर कोई कार्यवाही अपेक्षित
नहीं। मिसल फैसल सुनार लेकर मम्बर से कम है। वाद
दफ्तार दायित्वल है।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

